





(2)



भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक - प्रारूप 4 कंको 0334 के अनुसार 70,00,000/-  
रुपया प्रति हेक्टेयर पेज नं० 126

स्टाम्प का कुल योग	- 1,61,500 /-
दस्तावेज का प्रकार	- बैनामा
विक्रय मूल्य	- 22,50,000 /-
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य मौजा	- 23,03,000 /-
ब्लॉक	- सिमरधा
मापन की इकाई	- बड़ागाँव
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	- हेक्टेयर
सड़क की स्थिति	- 0.329 हे०
पेड़ों का मूल्यांकन	- किसी भी सर्वत्रटु मार्ग पर स्थित नहीं है।
बोरिंग / कुआँ / अन्य	- कोई पेड़ नहीं है। कोई कुआ नहीं है।

शमशेरिया  
शमशेरिया  
दिपक कुमार मुख्तार भादव राहुल यादव  
मि० अ० उ० मी०  
मि० क० राजेश्वरी  
शमशेरिया



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या

— सात


द्वितीय पक्ष की संख्या

— एक (निष्पादक तीन)

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष —

1. श्री राजेश यादव पुत्र श्री नाथूराम यादव निवासी— 65, भोजला, तहसील व जिला झांसी (PAN-BMZPR-3455-G) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8119 से की गई है मो०नं० 9453905679) (पेशा— नौकरी)
2. श्री प्रभात यादव पुत्र श्री नाथूराम यादव निवासी— भोजला, तहसील व जिला झांसी (PAN-ATTPY-7491-H) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3459 से की गई है मो०नं० 7957318506) (पेशा— कृषि)
3. श्री दीपक कुमार यादव पुत्र श्री नाथूराम यादव निवासी— भोजला, तहसील व जिला झांसी (PAN-AUKPY-7464-Q) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8413 से की गई है मो०नं० 9005881291) (पेशा— कृषि)
4. श्री मुकुल पुत्र श्री राकेश निवासी— भोजला, तहसील व जिला झांसी (PAN-GGOPM-7417-R) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 7418 से की गई है मो०नं० 7398637714) (पेशा— कृषि)

राजेश यादव  
प्रभात यादव  
दीपक कुमार यादव  
मुकुल यादव  
राकेश यादव  
मि०अ०अ०मि०  
मि०अ०राजेश  
मि०अ०मुकुल  
मि०अ०राकेश



आवेदन सं०: 202200860026042

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9964

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 2250000 स्टाम्प शुल्क- 161500 बाजारी मूल्य - 2303000 पंजीकरण शुल्क - 23030 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 23090

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा  
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू  
व्यवसाय : व्यापार  
निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी



श्री, पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा

पवन कुमार साहू अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/09/2022  
एवं 12:33:53 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


सुभाष चन्द्र . .  
उप निबंधक :सदर प्रथम  
झांसी  
13/09/2022

अरुण कुमार यादव  
निबंधक लिपिक  
13/09/2022

प्रिंट करें

5. श्री राहुल यादव पुत्र श्री राकेश सिंह यादव निवासी- अताई मोहल्ला, भोजला, तहसील व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 1729 से की गई है मो०नं० 7307779676) (पेशा- कृषि)
6. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री नाथूराम यादव पुत्री श्री मनीराम यादव निवासी- उन्नाव बालाजी रोड, भोजला, तहसील व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9926 से की गई है मो०नं० 7398637714) (पेशा- गृहणी)
7. श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री राकेश पुत्री श्री चन्द्रभान निवासी- भोजला, तहसील व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 0934 से की गई है मो०नं० 7398637714) (पेशा- गृहणी)

राजेश यादव  
 राहुल यादव  
 दीपक कुमार  
 मुकुल यादव  
 राहुल यादव  
 मि० उर्मिला  
 मि० अम्बाजेश्वरी  
 राजेश्वरी  
 राजेश्वरी



आवेदन सं०: 202200860026042

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9964

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


विक्रेता: 1

श्री राजेश यादव, पुत्र श्री नाथूराम यादव

निवासी: 65, भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: नौकरी

राजेश यादव




विक्रेता: 2

श्री प्रभात यादव, पुत्र श्री नाथूराम यादव

निवासी: भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

प्रभात यादव



विक्रेता: 3

श्री दीपक कुमार यादव, पुत्र श्री नाथूराम यादव

निवासी: भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

दीपक कुमार




विक्रेता: 4

श्री मुकुल, पुत्र श्री राकेश

निवासी: भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

मुकुल यादव




विक्रेता: 5

श्री राहुल यादव, पुत्र श्री राकेश सिंह यादव

निवासी: भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

राहुल यादव



विक्रेता: 6

श्रीमती उर्मिला, पत्नी श्री नाथूराम यादव

निवासी: उन्नाव बालाजी रोड, भोजला, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 7



(5)

- नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष - श्री पीताम्बरा इन्फ़ासिटी एलएलपी पता जीएस-01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी (PAN-AEQFS-8625-D) द्वारा डायरेक्टर्स
1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी- 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3212 से की गई है मो०नं० 9452230749) (पेशा- व्यापार)
  2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी- 452/2ए, सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 4694 से की गई है मो०नं० 9415057799) (पेशा- व्यापार)
  3. श्री शशि कान्त द्विवेदी पुत्र स्व० श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी- 1504/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 0376 से की गई है मो०नं० 9935186919) (पेशा- व्यापार)

राजेश यादव

प्राणेश यादव



मि० अ० उमेश



मि० अ० राजेश्वरी



दीपक कुमार



दीपक कुमार



कुंकुलभद्र राहुल यादव



कुंकुलभद्र राहुल यादव



कुंकुलभद्र राहुल यादव



श्रीमती राजेश्वरी, पत्नी श्री राकेश  
निवासी: भोजला, तहसील व जिला झांसी  
व्यवसाय: गृहिणी



क्रेता: 1

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा पवन कुमार  
साहू, पुत्र श्री संतोष कुमार साहू  
निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी  
व्यवसाय: व्यापार

*Pavan Kumar*



क्रेता: 2

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा अमन मदान, पुत्र  
श्री अवतार सिंह  
निवासी: 452/2ए, सीवपी० मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला  
झांसी  
व्यवसाय: व्यापार

*Aman Madan*



क्रेता: 3

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा शशि कान्त  
व्दिवेदी, पुत्र श्री स्व० विशम्भर प्रसाद व्दिवेदी  
निवासी: 1504/2ए, खातीबाबा मंदिर, ईसाईटोला, शहर व  
जिला झांसी  
व्यवसाय: व्यापार

*Shashi Kant*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री महेन्द्र सिंह यादव, पुत्र श्री राम सिंह राजपूत  
निवासी: 9, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी  
व्यवसाय: व्यापार

*Mahendra Singh*



पहचानकर्ता : 2

श्री संजीव कुमार, पुत्र श्री जसवंत  
निवासी: 91, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी  
व्यवसाय: कृषि

*Sanjiv Kumar*



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।  
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र ..

उप निबंधक : सदर प्रथम

झांसी

13/09/2022

अरुण कुमार यादव  
निबंधक लिपिक झांसी  
13/09/2022


(6)

सम्पत्ति का विवरण :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमरधा ब्लॉक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी किसी भी सर्वरुतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा सड़क/आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो बंजर है विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुआं आदि नहीं है। वयशुदा आराजी का नया लगान 1 रूपया 72 पैसा सालाना है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेतागण की पैत्रिक सम्पत्ति है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008- दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार कम्पनी द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 23,03,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

<u>खाता सं0</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
00157	274	0.417 हे0

कुल 1 किता रकवा 0.417 हे0 का 1/3 भाग यानि रकवा 0.139 हे0 यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है।

राजेश यादव  
युमाते यादव  
दीपक कुमार  
मुकुल यादव  
राहुल यादव  
मिठ अण्ड मिठवा  
मिठ अण्ड राजेश्वरी





खाता सं०	आराजी नम्बर	रकवा
00158	259	0.202 हे०
	261	0.097 हे०
	262	0.271 हे०

कुल 3 किता रकवा 0.570 हे० का 1/3 भाग यानि रकवा 0.190 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है।

इस प्रकार दोनो खातों में कुल रकवा 0.329 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। जिसकी चौहद्दी पूर्व- ग्राम भोजला, पश्चिम- आराजी नं० 264 व 270, उत्तर- आराजी नं० 263 व 258, दक्षिण- आराजी नं० 273 व 277 है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

विक्रय मूल्य - 22,50,000/- बाईस लाख पचास हजार रुपया जो जरिये विभिन्न चैक निम्न प्रकार है:-

रकम	चैक नं०	बैंक का नाम	दिनांक
4,50,000/-	000008	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
4,50,000/-	000009	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
4,50,000/-	000010	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
4,50,000/-	000011	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
1,50,000/-	000012	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
1,50,000/-	000013	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022
1,50,000/-	000014	कोटेक महिन्द्रा बैंक	12.09.2022

पूर्व प्राप्त कर लिया है।

राजेश राव


उत्तर यदु

दीपक कुमार मुखिया राहुल यादव



मि० क० उर्मिला

मि० क० राजेश्वरी





श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } - 23,03,000/- तेईस लाख तीन हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।

हम कि विक्रेतागण उपरोक्त आराजी उपरोक्त के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हैं जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि हम विक्रेतागण को रूपयों की जरूरत है। अतः हम विक्रेतागण उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करते हैं। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से हमारा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से हमारा या हमारे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्श या मिलकियत की वजह से आराजी मुवैया कब्जा क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा खर्चा की देनदार व जिम्मेदार हम विक्रेतागण रहेगें। क्रेता ने जमीन का मालिकाना हक तथा सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर मौके पर कब्जा, पैमाइस पूर्ण रूप से देख, समझ कर व पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के बाद बैनामा करा रहा हैं। दस्तावेज हाजा का सम्पूर्ण खर्च विक्रेतागण द्वारा वहन किया गया है। विक्रेतागण एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे-पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेतागण एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये 'की-प्लान' मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

राजेश यादव  
 उमर यादव  
 मि० अ० उमिया  
 मि० अ० राजेश्वरी  
 धर्म कुमाल मुकुल यादव राहुल यादव  
 मि० अ० अमर  
 मि० अ० अमर



(9)

मुकरर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 1,61,500 /- रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP92872241019640U स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गवाह (1) - श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री राम सिंह राजपूत निवासी- 9, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 8070 से की गई है मो0नं0 8299334684 (पेशा- व्यापार)

गवाह (2) - श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जसवंत निवासी- 91, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3134 से की गई है मो0नं0 9794532957 (पेशा- कृषि)

दिनांक : 12-09-2022ई0

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झांसी कुमार सिंह

अनुज्ञप्ति सं0 1/2010-11 मो0नं0 9415401278

टाईपकर्ता - दीपक सिंह

दस्तावेज लेखक तह0-झांसी  
अनुज्ञप्ति संख्य 1 वर्ष 2010/2011  
लिखा गया शुल्क-  
वैधता वर्ष 20... 20...

राजेश कुमार सिंह  
मि० क० उ० मि०  
मि० क० राजेश्वरी

दीपक कुमार मुखस्यदा  
राजेश कुमार सिंह

गवाह (1)



Mahendra

श्री महेन्द्र सिंह यादव  
पुत्र श्री राम सिंह राजपूत  
निवासी- 9, सिमरधा, झांसी

गवाह (2)



Sanjeev Kumar

श्री संजीव कुमार पुत्र  
श्री जसवंत  
निवासी- 91, सिमरधा झांसी



# नक्शा - नजरी


बिक्रेता का नाम श्री. राजेश. यादव. आदि 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

क्रेता का नाम श्री. पीताम्बर. इन्द्रा. सिंघाणियाँ समुदाय के विवरण का मानचित्र

मौजा. सिंहा. 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर - 268, 269, 262.



राजेश यादव

पीताम्बर

दीपक कुमार मुखिया

MOHD. KAMRAN KHAN  
OFF/RESI. 19 ALIGOLE  
AUTH. D/MAN (CIVIL)  
J.D.A., JHANSI  
L. No.-27  
DATE: 12/09/2022  
MOB. No -9415073360

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आवेदन सं०: 202200860026042

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9919 के पृष्ठ 145 से 164 तक क्रमांक  
9964 पर दिनांक 13/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र ..

उप निबंधक : सदर प्रथम

झांसी

13/09/2022



MOHD. KAMRAN KHAN  
OPERRESTI 19A/GOLE  
AUTH. DIMAN (CIVIL)  
J.D.A. JHANSI  
L.No-27  
DATE-15/09/2022  
MOB.No-941203360



न्यायालय :- तहसीलदार  
मण्डल : झांसी , जनपद : झांसी , तहसील : झांसी  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202206370112553  
वाद संख्या:- 12553/2022  
पवन कुमार साहू बनाम राजेश यादव  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 08/02/2023

न्यायालय तहसीलदार झांसी।

वाद सं० 3948/2022 कम्प्यूटर सं० टी०202206370112553 धारा 34/35 उ०प्र०

राजस्व संहिता 2006,

मौजा - सिमरधा तहसील व जिला झांसी।

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी बनाम राजेश यादव आदि

रजिस्ट्रार कानूनगो,

(कार्यालय)

तहसील झांसी।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा सिमरधा तहसील व जिला झांसी की खतौनी बर्ष 1429-1434 फसली के खाता संख्या 157 के गाटा संख्या 274 रकवा 0.417 हे० मे से 0.139 हे० अपना सम्पूर्ण व खाता संख्या 158 गाटा संख्या 259/0.202, 261/0.097, 262/0.271 हे० कुल 3 किता रकवा 0.570 हे० मे से 0.190 हे० यानि अपना सम्पूर्ण वय भू०रा०६०ख के अनुसार पर से विक्रेता/खातेदार राजेश यादव व प्रभात यादव व दीपक कुमार यादव पुत्रगण नाथूराम यादव व श्रीमती उर्मिला पत्नी नाथूराम निवासीगण भोजला तहसील व जिला झांसी व मुकुल व राहुल यादव पुत्र राकेश सिंह यादव व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी राकेश पुत्री चन्द्रभान निवासीगण भोजला तहसील व जिला झांसी का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर क्रेता श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस-01 विजन हाईटस हाउसिंग सोसायटी ओम शांति ग्रीन के सामने राजघाट कॉलोनी के पास शिवुपरी रोड झांसी द्वारा डायरेक्टर पवन कुमार साहू पुत्र संतोष कुमार साहू निवासी 91/1 सिविल लाइन झांसी व अमन मदान पुत्र अवतार सिंह निवासी 452/2ए सी० पी० मिशन कम्पाउण्ड झांसी व शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व० विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी 1504/2ए खाती बाबा मंदिर ईसाई टोला शहर व जिला झांसी का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1309.2022 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो परवाना वाद अमलदरामद की एक प्रति इस न्यायालय को वापिस की जाये।

दिनांक-

(डॉ० लालकृष्ण)

तहसीलदार

झांसी।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"